


राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2013-14 / 2093-2185 दिनांक : 28-01-2014

-: परिपत्र :-


एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू. एम.पी.) के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्रों के गाँवों में श्मशान घाट निर्माण, जीर्णोद्धार व विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं, उनमें जातियों के अनुसार कार्य हो रहा है।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. के कार्य सर्वसाधारण के लिए है न कि जाति, धर्म या सम्प्रदाय विशेष के लिए। अतः समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर को आदेशित किया जाता है कि अब जनहित में जो भी श्मशान घाट के निर्माण, जीर्णोद्धार व विकास के कार्य करवाये जावे, वे जन साधारण के हित में बिना किसी भेदभाव के बनवाये जावे।


28/1/14
श्री. एस. काला
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(I-24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2013-14 / 2093-2185 दिनांक : 28-01-2014
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर (समस्त)।
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. जिला प्रभारी (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
9. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)।
10. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।


28/1/14
निदेशक